

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम—1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक में प्रधानाध्यापक—मार्गि एवं समकक्ष पद (ग्रुप—एफ शैक्षण्यपूर्व—)

हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर सिनलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 8 में अंकित पूर्व वर्ष की रिक्तियों के प्रति किये गये चयन को निरस्त करते हुए कॉलम संख्या 7 में अंकित चयन वर्ष की रिक्तियों के प्रति चयनित किया जाता है :—

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	नवीन / संशोधित चयन वर्ष (डोपीसी)	पूर्व चयन वर्ष (डोपीसी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2190	1985-86	Mahesh Chandra Gupta		23-03-1959	2013-14	-
2	1647	1991-92	Bhagwan Sahay	SC	10-08-1968	2013-14	2016-17


(निथनल डिल)

आईएसल

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 22-01-19

क्रमांक—शिविर—माध्य/संरथा/बी—गा/रिव्यू प्र०अ०/डोपीसी/2013—14 से 2017—18/2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु:—

- 1 प्रनुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय डेवोर्टल पर अपलोड करने वाला
- 7 समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 8 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
- 9 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय,
- 10 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्यालय,
- 11 समस्त मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं यदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान
- 12 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संरथा—सी—2/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग
- 13 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक
- 14 प्रभारी संस्था—बी—गा प्रभारी
- 15 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर